

बिहार सरकार
(सामान्य प्रशासन विभाग)
॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक- 21.7.2020

संख्या-18/लो.शि.वि. 14-04/2016(सं.3-1).....6802..... बिहार लोक शिक्कायत विचारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सेवाओं, जिनके समर्थन में परिवार द्वारा किया जा सकेगा एवं लोक प्राधिकार तथा विभाग जिन के स्तर पर परिवार का विचारण होगा, के समर्थन में पूरी निजी अधिरूपता संख्या 7695, दिनांक-30.05.2016 के परिशिष्ट-1 एवं अधिरूपता सं0-8056 दिनांक-18.06.19 के परिशिष्ट-02(क), 02(ख), 02(ग) के तहत निम्नलिखित गए परिशिष्ट तुरंत के प्रभाव से जोड़ी है।

1) यथा सम्बन्ध परिशिष्ट 3(क) के अनुसार नई योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं जिनके समर्थन में परिवार द्वारा किया जा सकेगा एवं उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवार का विचारण होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21.7.2020

(कञ्चैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

संख्या-18/लो.शि.वि. 14-04/2016(सं.3-1).....6802...../पटना, दिनांक- 21.7.2020

परिचय: -अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारवाग, पटना को बिहार राज्यपाल के आराधन अंक में प्रकाशनार्थ और तबकी 1000 मुद्रित प्रतियों इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पेषित।

21.7.2020

सरकार के अवर सचिव।

संख्या-18/लो.शि.वि. 14-04/2016(सं.3-1).....6802...../पटना, दिनांक- 21.7.2020

परिचय: सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / राज्यपाल सचिवालय / मुख्यमंत्री सचिवालय / स्थानिक आशुवत, नई दिल्ली / महाविदेशक, विपार्ट / राज्य अभिलेखागार, पटना / सभी पत्रावलीय आशुवत / सभी जिला पदाधिकारी / अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना / टी.सी.एस. कोर्पांस, वित्त विभाग, पटना को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित।

21.7.2020

सरकार के अवर सचिव।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत नई योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं की सूची जिनके संबंध में परिवार दायर किया जा सकेगा और उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवार का निवारण होगा

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवार दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवार का निवारण होगा
1	स्वास्थ्य एवं उपमोक्षा संरक्षण विभाग	राशन कार्ड से संबंधित भगता	अनुमंडल पदाधिकारी/पंचंड विकास पदाधिकारी

21.7.2020